

Hand
29/8/24
पञ्चाङ्ग

29/8/24
शुक्रवार
नगर विकास न्यास, कोटा

29/8/24
हमराज मीना
तहसीलदार
नगर विकास न्यास कोटा



S.NO.	KHARA NO.	TOTAL AREA IN.KHASRA	AREA IN.SCHAME
01	294	0.33	0.06
02	296	0.07	0.01
03	1071/734	0.11	0.04
04	794	0.80	0.18

TOTAL AREA :-2,900 SQ.M
31,204 SQ.FT.

LAND ANALYSIS			
S.NO.	PARTICULAR	AREA SQ.FT.	%
01	RESIDENCIAL	17,985	57.64 %
02	I.C.	610	1.95 %
03	PARK/SW.MT.	3,904	12.51 %
04	ROAD	8,705	27.90 %
TOTAL AREA		31,204	100.00 %

111

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 30/08/2024 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

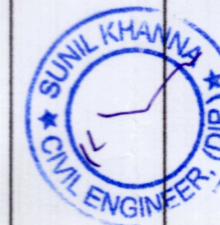
RESIDENCIAL	I.C.	PARK/SW/MT	ROAD	TOTAL
17985 वर्गफीट	610 वर्गफीट	3904 वर्गफीट	8705 वर्गफीट	31204
57.64 प्रतिशत	1.95 प्रतिशत	12.51 प्रतिशत	27.90 प्रतिशत	वर्गफीट
				100 प्रतिशत

- (1) योजना के आंतरिक विकास के पेपे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं० C-4 व C-5 कुल भूखण्ड 02 क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिसे रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन रखे जाने हेतु मॉनेजि डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।
 - (2) आवेदित भूमि को ब्यास द्वारा पूर्व अर्धनगरीय योजना 294(पाटी), 295, 296(पाटी), 297(पाटी), 786(पाटी), 792(पाटी), 793, 1071/794(पाटी), 794(पाटी) ग्राम धाकडोड़ी की 40' सड़क से पहुंच उपलब्ध है।
 - (3) दानशुपि पॉलीसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
 - (4) योजना में दर्शाए अनुसार पार्क एवं पैयू रखा जाना अपेक्षित है।
 - (5) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत दानशुपि पॉलीसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करवें होंगे एवं तकमीनों का ब्यास की अभियंत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
 - (6) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3/77/नविधि/3/2009 पार्त IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
 - (7) नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों, दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
 - (8) रेलवे सीमा से 100' फीट गहराई के अन्तर्गत आ रहे भूखण्डों की निर्माण स्वीकृति रेलवे से अनापत्ति उपरान्त दी जावे। इसका अंकन ले-आउट एवं पट्टे में भी किया जावे।
 - (9) रक्षा संस्थापन/स्थापना की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावे।
 - (10) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन कराया जावे।

वरिष्ठ नगर निर्माणक
नगर विकास न्यास, कोटा

APPROVED PLAN
OF "SOUTH X" B

APPROVED PLAN



For M/s Coral Colonizers

Authorised Signatory